राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.18(1)साप्र/2/19

जयपुर, दिनांक 25/3/21

–: आदेश :–

श्री रामकृष्ण मीना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधानसभा, जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2046 है, को इस विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2018 द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या एच–520, गांधीनगर के स्थान पर प्रावधानानुसार प्रथम परिवर्तन के अंतर्गत राजकीय आवास संख्या एच–870, गांधीनगर, जयपुर का रिक्त होने की प्रत्याशा में नियमानुसार किराये भुगतान की शर्त पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०

(मनमोहन गौड़)

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटौती को सुनिश्चित करावें।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर–कृपया आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवायें।
10. श्री रामकृष्ण मीना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधानसभा को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेगें एवं पूर्व आवंटित आवास का कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को संभलवाकर इस विभाग को सूचित करेंगे।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव